

## फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

पार्थी - मौजा  
नियम मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.  
कमांक

विपक्षी :- तहसीलदार भीण्डर  
पत्रावली संख्या : 46/23

### कार्यवाही विवरण

दिनांक - 21.05.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्थी उपस्थित। राजपरोकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 2, 3, 5 से 7 अनुपस्थित। आवाज दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2, 3, 5 से 7 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब नहीं देना चाहिए। प्रकरण में अधिवक्ता पार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में वहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता पार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोस है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से विवाद की संभावना रहती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

### -: आदेश :-

परिणामस्वरूप पार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमावंदी संवत् 2078-81 की खाता संख्या नया 1167 की आराजी नम्बर 3930 कित्ता 1 रकबा 0.0400 हेक्टेयर भूमि के चारों दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रुपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान पार्थी अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

